न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :54/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री रामप्रसाद अग्रवाल प्रबन्धक मैसर्स सत्यनारायण दिनेश कुमार गौरव पथ सब्जी मण्डी के पास लालसोट जिला दौसा (राज0)निवासी न्यू कॉलोनी लालसोट जिला दौसा राज0।
2. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री मॉगीलाल प्रबन्धक मैसर्स —श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज निमोडिया रोड बस स्टैण्ड के पास चाकसू जिला जयपुर निवासी 108 नन्द कॉलोनी टोंक रोड सांगानेर जयपुर राज0।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएसए 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 52

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1व 2 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 26.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.3.2023 को 12.39 PM पर मैसर्स सत्यनारायण दिनेश कुमार गौरव पथ सब्जी मण्डी के पास लालसोट जिला दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री रामप्रसाद अग्रवाल मिला। जिसको अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर विक्रेता ने स्वयं को मैसर्स सत्यनारायण दिनेश कुमार गौरव पथ सब्जी मण्डी के पास लालसोट जिला दौसा का प्रबन्धक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स सत्यनारायण दिनेश कुमार गौरव पथ सब्जी मण्डी के पास लालसोट जिला दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान में प्लास्टिक के बैग में 500—500 ग्राम के 40 पॉली पैक सूजी (जैनम) रखे हुए थे। जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ सूजी (जैनम) सील्ड पैक वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 40 पॉली पैक में से 500—500 ग्राम के 4 पॉली पैके का वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 74—(अक्षरे चोहत्तर रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500—500 ग्राम 4 पैकिट को इलेक्ट्रॉनिक मापक मशीन से तुलवाकर चार साफ व सूखे पॉलीथीन प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने को दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक AG-3232 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूना क्रय करते समय श्री दीपक अग्रवाल प्रबन्धक मैसर्स सत्यनारायण दिनेश कुमार गौरव पथ सब्जी मण्डी के पास लालसोट ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज निमोडिया रोड बस स्टैण्ड के पास चाकसू जिला जयपुर का खरीद बिल क्रमांक /इन्वॉइस नं0 1248 दिनांक 07.2.2023 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ सूजी(जैनम) क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 09.3.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 09.3.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (जैनम) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./256/एक्ट/2023/278 दिनांक 17.3.2023 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सूजी (जैनम) एफ.एस.एस.ए की धारा का 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis Branded) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./256/एक्ट/2023/278 दिनांक 17.3.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (जैनम) का नमूने में **Date of Packing 01/202/23 USEBy/ExpIRY- 01/04/2023 (Best Before-3Months from Packaging** लिखा गया है**।** जो **Contravention to the Regulation no. 2.4(7) of FS&S (Labelling &Display) Regulation 2020** होने से मिथ्याछाप (Mis Branded) एवं एफएसएसए 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन होना का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सूजी (जैनम) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 द्वारा द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ सूजी (जैनम) मैसर्स श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज निमोडिया रोड बस स्टैण्ड के पास चाकसू जिला जयपुर से बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 1248 दिनांक 07.2.2023 द्वारा क्रय किया जाकर ज्यों का त्यों विक्रय किया गया है। प्रार्थी द्वारा इसमें किसी प्रकार की छेडछाड नहीं की गई है। इसलिये प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद को ड्रॉप फरमावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. : 54/2023 FSSA

अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ सूजी (जैनम) के नमूने की जांच में किसी प्रकार से अवमानक स्तर का नहीं पाया गया है। उक्त नमूने की **Labelling** में **Use by/Expiry** का नियमानुसार अंकन नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप की श्रेणी में आया है। प्रार्थी द्वारा इसमें नियमानुसार संशोधन कर दिया जायेगा एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाये जाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./256/एक्ट/2023/278 दिनांक 17.3.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सूजी(जैनम) का नमूना **Labelling** में **Use by/Expiry** का नियमानुसार अंकन नहीं होने से मिथ्याछाप **(Mis Branded)** पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सूजी(जैनम) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री रामप्रसाद अग्रवाल प्रबन्धक मैसर्स सत्यनारायण दिनेश कुमार, गौरव पथ, सब्जी मण्डी के पास लालसोट जिला दौसा निवासी न्यू कॉलोनी, लालसोट जिला दौसा पर 5000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल प्रबन्धक मैसर्सः– श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड बस स्टैण्ड के पास चाकसू जिला जयपुर निवासी 108 नन्द कॉलोनी टोंक रोड सांगानेर जयपुर पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.09.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः– 26.09.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री रामप्रसाद अग्रवाल प्रबन्धक मैसर्स सत्नारायण दिनेश कुमार गौरव पथ सब्जी मण्डी के पास लालसोट जिला दौसा (राज0) निवासी – न्यू कॉलोनी लालसोट जिला दौसा राज0।
4. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री मॉगीलाल प्रबन्धक मैसर्स –श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज निमोडिया रोड बस स्टैण्ड के पास चाकसू जिला जयपुर निवासी 108 नन्द कॉलोनी टोंक रोड सांगानेर जयपुर राज0।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा